न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 211/2024

1. हीरालाल पुत्र श्री हरदेव जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मौहल्ला मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
2. श्रीमती नोरती देवी पत्नी श्री दुधार जाति गुर्जर निवासिन गुर्जर मौहल्ला मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
3. श्रीमती लाडा देवी पत्नी श्री सरदार जाति गुर्जर निवासिन गुर्जर मौहल्ला मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०

प्रार्थीगण

विरूद्ध

1. देवा पुत्र श्री भैरू जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मौहल्ला मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
2. मनभर देवी पत्नी स्व० श्रीकिशन जाति गुर्जर निवासिन गुर्जर मौहल्ला मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०

2/1 रतन पुत्र स्व० श्री श्रीकिशन
2/2 भागचन्द पुत्र स्व० श्री श्रीकिशन
2/3 काना पुत्र स्व० श्री श्रीकिशन
सर्वजाति गुर्जर निवासी गुर्जर मौहल्ला मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
2/4 सुप्यार पुत्री स्व० श्रीकिशन पत्नी श्री श्योजी जाति गुर्जर निवासिन ब्रजपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
2/5 रामी पुत्री स्व० श्री श्रीकिशन पत्नी श्री लालचन्द निवासिन ब्रजपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०

3. रतन पुत्र स्व० श्रीकिशन जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मौहल्ला मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
4. भागचन्द पुत्र स्व० श्रीकिशन जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मौहल्ला मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
5. काना पुत्र स्व० श्रीकिशन जाति गुर्जर निवासी गुर्जर मौहल्ला मण्डावरिया तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
6. सुप्यार पुत्री स्व० श्रीकिशन पत्नि श्री श्योजी निवासिन ब्रजपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
7. रामी पुत्री स्व० श्रीकिशन पत्नि श्री लालचन्द निवासिन ब्रजपुरा तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज०
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री भवानी सिंह

दिनांक 19.08.2025

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री भवानी सिंह ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. के तहत पेश कर निवदेन किया कि ग्राम मण्डावरिया पटवार हल्का भोजियावास की कृषि भूमि खसरा संख्या 59 रकबा 4.7084 हैक्टेयर किस्म बारानी तृतीय में प्रार्थी संख्या 01 हिस्सें 1/8 के प्रार्थी संख्या 02 नोरती देवी हिस्सें 1/12 के एवं प्रार्थी संख्या 03 के पुत्र भागचन्द पुत्र सरदार हिस्सें 1/8 के काश्तकार है। उपरोक्त प्रार्थी सख्या 03 के

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

पुत्र भागचन्द का अविवाहित स्थिति में दिनांक 12.06.2021 को देहावसान हो गया एवं हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों अनुसार प्रार्थीयां उनकी जन्म दाता माता होने से प्रथम श्रेणी की वारिस उत्तराधिकारी होकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अधीन उपरोक्त भूमि में उपरोक्त उसके पुत्र भागचन्द के हिस्से पर स्वतः विधि प्रभाव से कानूनन उत्तराधिकारी होकर काबिज हो गयी। उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 श्रीकिशन पुत्र भैरू के विधिक वारिसान है। उपरोक्त श्रीकिशन पुत्र भैरू का भी देहावसान हो चुका है एवं वह हिस्सें 1/3 के सहखातेदार काबिज काश्तकार थें। अप्रार्थी संख्या 01 उपरोक्त श्रीकिशन पुत्र भैरू का सगा भाई है। वह भी हिस्सें 1/3 का सहखातेदार काबिज काश्तकार है। इस प्रकार प्रार्थना अधीन भूमि में प्रार्थीगण हिस्सें 1/3 के एवं अप्रार्थी संख्या 01 हिस्सें 1/3 के एवं अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 हिस्सें 1/3 के हिस्सेदार रहतें है। अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 कतिपय कारणों से उपरोक्त भूमि में प्रार्थीगण के हिस्सें 1/3 को लेकर प्रार्थीगण से विवाद करतें है। अप्रार्थी संख्या 03, 04, 05 पुरुष संख्या में अधिक है तथा उनके पास पुरुष संख्या में जोड है तथा इसके रहतें हुये। वह प्रार्थीगण को उनके हिस्सें की उपरोक्त भूमि में काश्त को लेकर विवाद करतें है। प्रार्थीगण द्वारा कई मर्तबा अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 को आपसी सहमति से उपरोक्त प्रार्थना पैरा संख्या 01 में वर्णित भूमि का जमाबन्दी में अनुसार विभाजन करवाये जानें हेतु आग्रह किया। किन्तु अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 के उपरोक्त अविधिक आचरण के रहतें हुये। वह विभाजन के लियें सहमत नहीं हुये एवं प्रार्थी को यह धमकी दी कि कभी भी मौका पाकर वह अविधिक आपराधिक कृत्य कर उपरोक्त सम्पति से प्रार्थी को बलात बेदखल कर देगें। सहखातेदारी की भूमि के अधीन नींव सींव से अच्छी से अच्छी वं बुरी से बुरी विभाजन करवाया जाना हर सहखातेदार का विधि पूर्ण अधिकार है एवं इसके रहतें हुये समय समय पर राज्य सरकार द्वारा राजस्व शिविर आयोजित कर काश्तकारों के मध्य विवाद ना हो इस कारण से विभाजन की कार्यवाही को प्राथमिकता से दृष्टिगत किया जाता है। उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 द्वारा दिनांक 02.07.2024 को इस खरीफ की फसल काश्त के लियें उपरोक्त भूमि पर फेरा देने गये तों उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 ने प्रार्थी से आमादा फसाद होकर प्रार्थी को धमकी दी कि प्रार्थीगण उपरोक्त भूमि उन्हें औने पौने दामों में विक्रय कर देवें नहीं तों वह अविधिक कृत्यों से उपरोक्त भूमि का जबरन हथिया लगें एवं प्रार्थीगण तथा उनके परिवारजन को जान माल सें क्षति पहुंचायेगें। प्रस्तुत प्रार्थना हेतु प्रार्थना कारण दिनांक 02.07.2024 को उपरोक्त अप्रार्थी संख्या 03 लगायत 05 के अविधिक आचरण से उत्पन्न होकर आज तक सतत उत्पन्न है। अप्रार्थीगण संख्या 08 भूमिधारी होकर विभाजन के वाद में प्रोपर पक्षकार होने से संयोजित किया गया है। उनके विरूद्ध को कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूतर्नीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि अप्रार्थी को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह प्रार्थीगण के निहित हिस्सें में प्रार्थीगण के काश्त कार्य में किसी प्रकार से बाधा नहीं करें एवं उपरोक्त भूमि को क्षतिग्रस्त नहीं करें नहीं तो अप्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई कठिनाई नहीं होगी। यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द नहीं किया गया तों अप्रार्थीगण उपरोक्त प्रार्थीगण के काश्तकार्यो नहीं करनें देगें जिससें प्रार्थीगण के जीविकोपार्जन का साधन समाप्त हो जायेगा प्रार्थीगण भी उपरोक्त भूमि के हिस्सेदार है एवं प्रार्थीगण को उपरोक्त स्वयं के हिस्सें की भूमि पर काश्त करनें का विधि मान्य अधिकार है। अतः प्रथम दृष्टया पक्ष, सुविधा का सुन्तुलन एवं अपूतर्नीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में रहतें है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण को इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावें की वह ग्राम मण्डावरिया पटवार क्षेत्र भोजियावास की कृषि भूमि खसरा संख्या 59 रकबा 4.7084 हैक्टयर किस्म बारानी तृतीय में प्रार्थीगण के निहित हिस्सें 1/3 में प्रार्थीगण के काश्तकार्यों में बाधा नहीं करें तथा उपरोक्त भूमि कों खुर्द बुर्द, क्षतिग्रस्त नहीं करें। इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण उनकें परिवारजन, हितबद्ध ऐजेन्ट असाईनिज को पाबन्द किया जावें।

प्रार्थना पत्र को दिनांक 11.09.2024 को दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर अप्रार्थीगणो को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 24.06.2025 तक भी जवाब पेश नहीं करने के कारण दिनांक 24.06.2025 को अप्रार्थी संख्या 01 से 07 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। दिनांक 24.06.2025 को वकील वादी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 04 सी.पी.सी. का पेश किया जिसे स्वीकार किया गया तथा संशोधित शीर्षक रिकार्ड पर लिया गया। दिनांक 19.08.2025 को वकील प्रार्थी की एकपक्षीय की बहस सुनी गई जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराया गया।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

मेरे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया, प्रार्थना पत्र का धारा 212 राज.का.अधि. के तीन बिन्दुओं के अनुसार विवेचन किया गया,

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि सहखातेदारी की भूमि है जिसमें प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा निहित है अर्थात प्रार्थीगण वादअधीन भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि पर सहखातेदार है तथा अपने 1/3 हिस्से पर काबिज काश्त है, अतः सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में है।

अपूरणीय क्षतिः– यदि अप्रार्थीगणों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया गया और अप्रार्थीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड व मौके में परिवर्तन कर दिया गया तो अपूरणिय क्षति प्रार्थीगण को कारित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 08 को मूल वाद के अन्तिम निर्णय तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम भोजियावास पटवार हल्का भोजियावास स्थित भूमि खसरा संख्या 59 रकबा 4.7084 हैक्टेयर में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे, प्रार्थीगण को उसके हिस्से से बेदखल नहीं करें तथा वादअधीन भूमि में मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

19/8/25

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)